



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2310/2025

1. Seema Kumari W/o Late Satydev, Age 35 Yea.
2. Keshv S/o Late Satydev, Age 10 Year.
3. Panchi Bai W/o Late Babu Lal, Age 58 Year.
Appellant No. 2 Is Minor Through Guardian Mother Seema Kumari.
All Appellants Are, R/o Lakheri Station, Tehsil Indragrh Distt. Bundi Rajasthan.

----Claimants/Appellants

Versus

1. Lokesh Meena S/o Pappu Lal, R/o Ward No. 3, Main Road, Badgaon, Police Station Kunhari Kota Distt. Kota Rajasthan.
(Driver of Tractor No. RJ-08-R.A 9367)
2. Kailash Chand Meena S/o Bhagota Meena, R/o Ward No. -6 Jakhmund, Police Station Talera, Distt. Bundi Rajasthan.
(Owner of Tractor No. RJ-08-R.A 9367)
3. Iffco Tokio General Insurance Co Ltd., Through Regional Manager At Regional Office At 101 First Floor ARG Corporate Park Gopal Badi, Ajmer Road, Pulia Jaipur Rajasthan. 302019
(Insurance Co. of Tractor No. RJ-08-R.A9637)

-----Non-Claimants-Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ravi Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rishipal Agarwal, Adv. with Mr. Vimal Kumar Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम-2, बून्दी (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-332/2022, सीमा कुमारी



व अन्य बनाम लोकेश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में सत्यदेव की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 88,50,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 13,24,118/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा ये अपील क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,552/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि वक्त घटना मृतक ठेकेदारी का कार्य कर 40,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।



6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 11.02.2022 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को ठेकेदारी का कार्य कर 40,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए वर्ष 2021 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी 252/- रुपये प्रतिदिन के आधार पर उसकी आय की गणना 26 दिनों की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,552/- रुपये निर्धारित की गई है। जबकि मृतक की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय, मृतक के कार्य की प्रकृति व घटना की तिथि 11.02.2022 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है। घटना वर्ष 2022 की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 के पश्चात् वर्ष 2023 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2022 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गयी है। वर्ष 2021 में अकुशल श्रेणी के मजदूर श्रमिक की दैनिक आय 259/- रुपये प्रतिदिन तथा वर्ष 2023 में 285 रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम वक्त घटना मृतक की दैनिक आय 275/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $275 \times 30 = 8,250$ /- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना मृतक 32 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 8,250/- रुपये का 40 प्रतिशत 3,300/- रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की



निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 11,550/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल 03 आश्रित बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 11,550/-रुपये का 1/3 भाग 3,850/-रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 7,700/-रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की 32 वर्ष आयु को दृष्टिगत रखते हुए 16 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 7,700/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $7,700 \times 12 \times 16 = 14,78,400/-$ रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 40,000/- रुपये (कुल 1,20,000/- रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की



पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को "स्पाउस कंसोर्टियम" की मद में 48,000/- रुपये, मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या-2 को "पैरेण्टल कंसोर्टियम" की मद में 48,000/- रुपये तथा मृतक की माता अपीलार्थी संख्या-3 को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में 48,000/- रुपये (कुल 1,44,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये की राशि को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में 15,000/- रुपये की राशि को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गई उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	14,78,400/-
2.	कंसोर्टियम के मद में (प्रत्येक अपीलार्थी को 48,000/- रुपये)	कुल 1,44,000/-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000/-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000/-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		16,58,400/-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		13,24,118/-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		3,34,282/-

12. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा कि अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **13,24,118/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान



पर **16,58,400 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

13. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J